संख्या-2082/22-2-2015-17(248)/2013

प्रेषक,

करूणेश कुमार सिंह,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश, शासन।

सेवा में,

अपर पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 लखनऊ दिनांक 24 अगस्त, 2015

विषयः- केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्व बन्दी मुन्ना पुत्र श्री छिद्दू निवासी जनपद-झांसी की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-31409/पर-3(एम-08-10-2013) दिनांक-25-10-2013 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार बन्दी मुन्ना पुत्र श्री छिद्दू ग्राम-चुरारा, थाना-मऊरानीपुर, जिला-झांसी का निवासी है। जमीनी विवाद को लेकर चली आ रही रंजिश के कारण बन्दी ने दिनांक 11-04-1995 को अपरान्ह लगभग 03:30 बजे कुल्हाडी से मारकर एक व्यक्ति की हत्या की। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-78/95 के अन्तर्गत भा0द0वि0 की धारा-302 में मा0 सत्र न्यायाधीश झांसी द्वारा दिनांक 29-07-1999 को आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया। बन्दी द्वारा दिनांक 29-08-2013 तक 18 वर्ष 04 माह 17 दिन की अपरिहार तथा 23 वर्ष 00 माह 27 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। बन्दी का जेल में आचरण संतोषजनक है। बन्दी का कोई सहअभियुक्त नहीं है। जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट झांसी द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। प्रोबेशन बोर्ड ने बन्दी द्वारा कुल्हाडी से मारकर एक व्यक्ति की हत्या सम्बन्धी किये गये अपराध की गंभीरता एवं जघन्यता, के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्वदोष बन्दी मुन्ना पुत्र श्री छिद्दू, निवासी जनपद-झांसी को प्रोबेशन पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- उपरोक्त् वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि बन्दी मुन्ना (बन्दी संख्या-5684) पुत्र श्री छिद्दू, निवासी ग्राम-चुरारा, थाना-मऊरानीपुर, जिला-झांसी की फार्म-ए पर यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के प्राविधानों के अन्तर्गत विचारोपरान्त उसे मुक्ति का पात्र नहीं पाया गया है। अतएव उक्त बन्दी की लाइसेन्स पर मुक्ति शासन द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। तदनुसार उसके फार्म-ए पर शासन के आदेश

http://shasanadesh.up.nic.in

अंकित करके एतदद्वारा वापस लौटाया जा रहा है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करते हुए शासन के निर्णय से बन्दी को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोपरि।

(बन्दी का फार्म-ए एवं समस्त पत्रादि सहित)

भवदीय,

(करूणेश कुमार सिंह)
अनु सचिव।

संख्या-2082/(1)/22-2-2014 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, झांसी।

2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, आगरा ।

3- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(करूणेश कुमार सिंह)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

शासनादेश सख्या-2082/22-2-2015-17(428)/2013

दिनांक 24 अगस्त, 2015 का संलग्नक

सरकार के आदेश

केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्व कि बन्दी मुन्ना पुत्र श्री छिद्दू, निवासी, जिला-झांसी की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में महानिरीक्षक, कारागार द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार बन्दी मुन्ना पुत्र श्री छिद्दू, निवासी ग्राम-चुरारा, थाना-मऊरानीपुर, जिला-झांसी का निवासी है। जमीनी विवाद को लेकर चली आ रही रंजिश के कारण बन्दी ने दिनांक 11-04-1995 को अपरान्ह लगभग 03:30 बजे कुल्हाडी से मारकर एक व्यक्ति की हत्या की। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-78/95 के अन्तर्गत भा0द0वि0 की धारा-302 में मा0 सत्र न्यायाधीश झांसी द्वारा दिनांक 29-07-1999 को आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया। बन्दी द्वारा दिनांक 29-08-2013 तक 18 वर्ष 04 माह 17 दिन की अपरिहार तथा 23 वर्ष 00 माह 27 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। बन्दी का जेल में आचरण संतोषजनक है। बन्दी का कोई सहअभियुक्त नहीं है। जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट झांसी द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। प्रोबेशन बोर्ड ने बन्दी द्वारा कुल्हाडी से मारकर एक व्यक्ति की हत्या सम्बन्धी किये गये अपराध की गंभीरता एवं जघन्यता, के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्वदोष बन्दी मुन्ना पुत्र श्री छिद्दू, निवासी जनपद-झांसी को प्रोबेशन पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

(करूणेश कुमार सिंह)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in